केशव

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

12 दिसम्बर 2007

एस. बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, न्यायाधिपितगण

दंड संहिता, 1860 धारा 302 हत्या के लिए अभियोजन परिस्थितिजन्य साक्ष्य -अभियुक्त और मृतक को आखिरी बार एक साथ देखा गया था आरोपी ने मृतक की पत्नी के सामने न्यायेतर संस्वीकृति की कोई एफआईआर या गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी। कथित घटना के पांच दिन बाद मानव कंकाल, मृतक के कपड़े, मृतक के कंकाल के पास मृतक के नाम-पता वाला पोस्ट कार्ड मिला। कथित रूप से मकसद था कि आरोपी मृतक को दिया गया कर्ज वापस मांग रहा था। अभियुक्त की निशानदेही पर चाकू की बरामदगी। मकसद एवं मामले की परिस्थितियों के आधार पर नीचे की अदालतों द्वारा दोषसिद्धि अपील पर निर्धारित किया कि दोषसिद्धि न्यायसंगत नहीं है। दोषसिद्धि केवल मकसद पर आधारित नहीं हो सकती। मामले के तथ्य में मृतक की मृत्यु साबित नहीं हुई अंतिम बार एक साथ देखे जाने की परिस्थितियाँ तभी प्रासंगिक हो जाती हैं जब मृत्यु साबित हो जाती है।

साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के तहत चाकू की बरामदगी स्वीकार्य नहीं है इसका मृत्यु के कारण से कोई संबंध नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि मृत्यु कठोर कुंद वस्तु से हुई थी। मृतक की पहचान स्थापित नहीं हुई। न्यायोतर संस्वीकृति विश्वास योग्य नहीं है. साक्ष्य अधिनियम, 1872 - चिकित्सा न्यायशास्त्र।

अपीलकर्ता अभियुक्त पर एक अन्य अभियुक्त के साथ अपने बहनोई की हत्या करने का मुकदमा चलाया गया। अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि अपीलकर्ता, मृतक को दिया गया ऋण वापस मांग रहा था। मृतक राज्य से मुआवजे के रूप में कुछ राशि की उम्मीद कर रहा था। मृतक अपीलकर्ता और पीडब्लू 6 (एक अन्य ऋणदाता) के साथ मुआवजे की राशि इकट्ठा करने के लिए गया था। उन्हें पी.डब्लू 5 द्वारा एक साथ देखा गया था। मृतक वापस घर नहीं लौटा। इसके दो दिन बाद अपीलकर्ता ने मृतक की पत्नी (पी.डब्लू 3) को सूचित किया कि. उसने उसके पति की हत्या कर दी है। न तो एफआईआर दर्ज की गई और न ही व्यक्ति के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज की गई उस दिन के पांच दिन बाद मृतक और अपीलकर्ता को एक साथ देखा गया, पीडब्लू ने पुलिस को सूचित किया कि उसने अपने भाई की भूमि में एक मानव कंकाल देखा था। जांच अधिकारी को एक मानव कंकाल, कुछ कपड़े और एक पोस्ट कार्ड मिला। उसे एक बड़ा पत्थर भी मिला जिस पर कुछ खून के धब्बे थे। पोस्ट कार्ड पर मृतक का नाम और पता लिखा हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एफआईआर दर्ज की

गई। अपीलकर्ता और सह- अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया। अपीलकर्ता की निशानदेही पर एक चाकू बरामद किया गया। विचारण न्यायालय ने परिस्थितियाँ जैसे कि (1) मकसद, (2) आखिरी बार मृतक के साथ देखा गया. (3) पीडब्लू 3 को की गयी न्यायोत्तर संस्वीकृति (4) आरोपी के घर से खून से सने कपड़ों की बरामदगी, और (5) चाकू की बरामदगी के आधार पर अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। हालांकि, सह अभियुक्त को दोषमुक्त कर दिया गया। उच्च न्यायालय ने सजा की पुष्टि की इसलिए वर्तमान अपील दाखिल की गयी।

अपील स्वीकार करते हुए न्यायालय ने निर्धारित किया कि 1. आक्षेपित निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता। यह मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर हत्या के आरोप में अभियुक्तों के अपराध के निर्धारण के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदण्डो को पूरा नहीं करता है पैरा (14 और 15) 272 बी-डी,

शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य 1984 (4) एससीसी 1116 बोधराज बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य 2002 (8) एससीसी 45; और गोवा राज्य बनाम संजय ठाकरान (2007) 3 एससीसी 755 पर आधारित।

2; किसी भी मापदण्ड से एक शव 3-4 दिनों की अवधि के भीतर कंकाल नहीं बना जाएगा। सामान्य तौर पर इसमें कम से कम कुछ सप्ताह

लगेंगे, क्योंकि यह घटना दिसंबर के महीने में हुई थी। अत्यधिक गर्मी के दौरान किसी शव को भी कंकाल बनने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय आवश्यक होता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट करने वाले डॉक्टर ने मौत का संभावित समय नहीं बताया। वह शायद यह निर्धारित करने की स्थिति में नहीं थे। हो सकता है कि जांच अधिकारी ने उन्हें ऐसा करने के लिए कहा भी न गया हो। (12 और 13) 271जी-एच,272 ए-बी)

एचडब्ल्यूवी कॉक्स मेडिकल न्यायशास्त्र और विष विज्ञान- संदर्भित।

3. यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि गिद्धों या अन्य जानवरों ने के कुछ हिस्सों को खा लिया। यदि ऐसा होता तो इसे पीडब्लू-1 और उसके भाई एवं जांच अधिकारी ने भी देखा होता। कम से कम इसका कुछ जिक तो होता। शव की छोटी आंत समेत सभी अंग गायब थे। शव कम से कम चार दिनों तक खुले मैदान में पड़ा रहा ऐसे में मृतक के कथित परिधान और कपड़े मृतक के शव के पास अलग-अलग पाया जाना समझ से परे है। यदि उसके सिर पर किसी कठोर और कुंद वस्तु का प्रयोग करके उसकी हत्या की गई थी जैसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है तो मृतक के कपड़ों का कुछ हिस्सा अभी भी कंकाल के ऊपर पाया जाएगा, उससे कुछ दूरी पर नहीं। यदि शव को गिद्धों या अन्य जानवरों ने खा लिया होता तो कपड़े भी फटे हालत में और पहचानने योग्य नहीं होते। ऐसी स्थिति में शव पहचान के लिए यह साक्ष्य कि मृतक की

मां और पत्नी ने पहचान लिया है कि कपड़े मृतक ही हैं, स्वीकार नहीं किया जा सकता। (पैरा 6, 269 एफ एच, 270 ए-बी)

4. कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया, जांच अधिकारी यह भी नहीं समझ पाए कि शव पुरुष का है या महिला का यह स्थापित करने के लिए किसी विशेषज्ञ की साक्ष्य पेश नहीं की गई कि पहचान फोरेंसिक रूप से संभव थी। (पैरा 10, 270 जी-एचजे)

5. दोषसिद्धि का निर्णय केवल मकसद के आधार पर दर्ज नहीं किया जा सकता। आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति तभी प्रासंगिक हो जाती है जब यह साबित हो जाए कि आरोपी और मृतक को आखिरी बार देखे जाने के कुछ ही समय के भीतर मौत हो गई थी। (पैरा 8, (270 सी-डी)

गोवा राज्य बनाम संजय ठाकरान 2007 (3) एससीसी 755- संदर्भित।

6. जिस पोस्ट कार्ड को बरामद किया जाना बताया गया था, उसे प्रदर्शित नहीं किया गया था। किसी ने भी उक्त पोस्ट कार्ड की अन्तवस्तु को साबित नहीं किया। यह विश्वास करना भी कठिन है कि यदि पोस्ट कार्ड सर्दियों के मौसम में कम से कम चार दिनों तक खुले आसमान के नीचे रहा, फिर भी वह पढ़ने योग्य था और शव के पास पाया जा सकता था। (पैरा 7-270 बी सी)

7. अपीलकर्ता द्वारा पीडब्लू-3 को दिए गए कथित न्यायेतर संस्कृति पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता क्योंकि आम तौर पर उसने अपने रिश्तेदार को इसका खुलासा किया होता और उसके तुरंत बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई होती। (पैरा 9) (270 डी-ई)

8. अपीलकर्ता की सूचना पर चाकू की बरामदगी भी बहुत महत्व नहीं रखती है क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला ही यह है कि मृतक की मौत एक कठोर और कुंद वस्तु से चोट पहुंचाने के कारण हुई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार खोज, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी, बशर्ते बरामदगी ऐसे तथ्य की हो जो उसे अपराध के घटित होने से जोड़ने के लिए प्रासंगिक हो। अभियुक्त की निशानदेही पर हथियार की बरामदगी जिसका मृतक की मृत्यु के कारण से कोई संबंध नहीं है, साक्ष्य में अस्वीकार्य है। (पैरा 9 270 ई-जी) आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार आपराधिक अपील संख्या 620/2006

बॉम्बे उच्च न्यायालय, औरंगाबाद की खंडपीठ के फौजदारी अपील के निर्णय और अंतिम आदेश दिनांक 13.9.2005 आपराधिक अपील संख्या 187/1999.

अपीलकर्ता की ओर से सुधांशु चैधरी एंव नरेश कुमार

सुशील करंजकर एंव रविंदर केशवराव एश्योर प्रत्यर्थीगण की ओर से

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

एस. बी. सिन्हा न्यायाधिपति

1 मृतक उत्तम सोनवाले अपीलकर्ता का बहनोई है उसकी बहन सरजाबाई का विवाह अपीलकर्ता से हुआ था। वह नांदेड़ जिले के तालुका लोहा के गांव देउलगांव के निवासी थे। मृतक की पत्नी विमलबाई है। मृतक ने अपनी एक बहन सविता की शादी के समय अपीलकर्ता से कुछ ऋण लिया था। कथित तौर पर अपीलकर्ता उससे 50,000/- रुपये से 60,000/- रुपये की राशि वापस मांग रहा था, जबकि मूल राशि केवल 5,000/- रुपये थी। कथित तौर पर उसने मृतक को ऋण की राशि वापस करने के उद्देश्य से पारिवारिक जमीन का एक हिस्सा भी बेचने की अनुमति इस आधार पर कि उसकी पत्नी सरजाबाई का उसमें हिस्सा था नहीं दी। मृतक ने पीडब्लू-6, नंदू भालके से 1,000/- रुपये की राशि भी उधार ली थी।

2. 18 दिसंबर, 1995 को पीडब्लू-6 मृतक की कृषि भूमि पर आया, जहां वह और उसकी पत्नी काम कर रहे थे और उक्त राशि 1,000/- रुपये वापस मांगी। अपीलकर्ता और एक अन्य व्यक्ति गौतम (मूल आरोपी नंबर 2) भी वहां आए मृतक राज्य से मुआवजे की कुछ राशि के भुगतान की उम्मीद कर रहा था। उन्होंने कथित तौर पर मुआवजे की उक्त राशि इकट्ठा करने के लिए नांदेड़ जाने का फैसला किया। उस दिन लगभग 3.00 बजे उन्हें कथित तौर पर पीडब्लू. तातेराव सोनवाले द्वारा एक साथ देखा गया

था। मृतक वापस घर नहीं लौटा, कथित तौर पर 20 दिसंबर, 1995 को अपीलकर्ता ने मृतक की पत्नी को सूचित किया कि उसने उसकी हत्या कर दी है और उससे उक्त तथ्य किसी को भी न बताने के लिए कहा। उन्होंने उसकी जमीन पर खेती करने और उसकी बेटियों की शादी करने की ज़िम्मेदारी ली। कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। मृतक उत्तम सोनवाई के लापता होने के संबंध में पुलिस को कोई रिपोर्ट भी नहीं दी गई थी।

3 पीडब्लू-1 श्रीकांत देवीदासराव भोरे नांदेड़ के निवासी थे। वह दिनांक 23 दिसंबर, 1995 को दोपहर करीब 1.00 या 1.30 बजे पुलिस स्टेशन वजीराबाद आये। उन्होंने वहां के प्रभारी अधिकारी को सूचित किया कि उनके भाई की जमीन पर एक मानव कंकाल देखा गया है। जांच अधिकारी ने उस स्थान का दौरा किया और कथित तौर पर एक मानव कंकाल, कुछ कपड़े और एक पोस्ट कार्ड देखा। उसे पास में एक बड़ा पत्थर भी मिला जिस पर कुछ खून के धब्बे थे। कंकाल को 24 दिसंबर, 1995 को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था, जो 24 दिसंबर, 1995 को लगभग 11.00 बजे अस्पताल में प्राप्त हुआ था। पोस्टमार्टम परीक्षा दिनांक 25 दिसंबर, 1995 को सुबह 10.00 बजे की गई थी। मस्तिष्क पदार्थ के अलावा और कुछ नहीं मिला। कथित तौर पर यह जो पोस्टकार्ड जब्त किया गया है उसमें मृतक का नाम और पता लिखा हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट

आने के बाद 26 दिसंबर 2005 को प्रभारी अधिकारी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई।

अपीलकर्ता और गौतम को गिरफ्तार किया गया। कथित तौर पर अपीलकर्ता कीनिशानदेही पर एक चाकू बरामद किया गया है।

4. अभियोजन पक्ष द्वारा रिकॉर्ड पर लाई गई सामग्री का विश्लेषण करने पर विद्वान विचारण न्यायालय और उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ता के खिलाफ दोषसिद्धि हेतु निम्नलिखित परिस्थितियों को पाया

(ए) मकसद,

(बी) अंतिम बार मृतक के साथ 19 दिसंबर, 1995 को देखा गया था; (सी) न्यायोतर स्वीकारोक्ति पीडब्लू, 3, विमल बाई के समक्ष की गई थी;

(डी) आरोपी के घर से खून से सने कपड़ों की खोज।

(ई) आरोपी की निशानदेही पर अपराध स्थल के पास कंटीली झाड़ियों से चाकू की बरामदगी।

5. हालांकि, मूल आरोपी नंबर 2, गौतम को दोषमुक्त कर दिया गया

6. केवल एक कंकाल बरामद हुआ। इसलिए विवादास्पद प्रशन यह है कि क्या 4-5 दिनों की अवधि के भीतर कोई शव कंकाल बन सकता है।

यह दिखाने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है कि गिद्धों या अन्य जानवरों ने शव के कुछ हिस्सों को खा लिया। यदि ऐसा होता तो इसे पीडब्लू-1 और उसके भाई के साथ-साथ जांच अधिकारी ने भी देखा होता। कम से कम इसका कुछ जिक तो मिलता, शव की छोटी आंत समेत सभी अंग गायब थे। शव कम से कम चार दिनों तक खुले मैदान में पड़ा रहा। मृतक के कथित परिधान और कपड़े शव के पास अलग-अलग कैसे पाए गए यह किसी की भी समझ से परे है। यदि उसके सिर पर किसी कठोर और कुंद वस्तु का उपयोग करके उसकी हत्या की गई थी जैसा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चलता है। मृतक के कपड़ों का कुछ हिस्सा अभी भी कंकाल के ऊपर पाया जाता ना कि उससे कुछ दूरी पर। यदि शव को गिद्धों या अन्य जानवरों ने खा लिया होता तो कपड़े भी ऐसी हालत में पाए जाते कि पहचाने नहीं जा सकते थे। ऐसी स्थिति में शव की पहचान के लिए मृतक की मां और पत्नी द्वारा कपड़ों की पहचान मृतक के ही होने के साक्ष्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

7. जिस पोस्ट कार्ड को बरामद किया जाना बताया गया था, उसे प्रदर्शित नहीं किया गया था। किसी ने भी उक्त पोस्ट कार्ड की सामग्री को साबित नहीं किया। इस बात पर विश्वास करना भी कठिन है कि यदि पोस्ट कार्ड सर्दियों के मौसम में कम से कम चार दिनों तक खुले आसमान के नीचे रहा फिर भी वह पढ़ने योग्य था और शव के पास पाया जा सकता था।

8. दोषसिद्धि का निर्णय केवल मकसद के आधार पर दर्ज नहीं किया जा सकता आखिरी बार एक साथ देखे जाने की परिस्थिति सभी प्रासंगिक हो जाती है जब यह साबित हो जाए कि मौत आरोपी और मृतक को आखिरी बार देखने के कुछ ही समय के भीतर हुई थी। (गोवा राज्य बनाम संजय ठकरान (2007 3 एससीसी 755) मामला अलग हो सकता था) यदि पत्नी की हत्या कथित तौर पर पति द्वारा एक कमरे की चार दीवारों के भीतर की गई होती जिस पर उनका कब्जा था।

9. अपीलकर्ता द्वारा पीडब्लू-3 को दिए गए कथित न्यायोत्तर संस्वीकृति पर भरोसा करना मुश्किल है क्योंकि आम तौर पर उसने अपने रिश्तेदार को इसका खुलासा किया होता और उसके तुरंत बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई होती। अपीलकर्ता के आदेश पर चाकू की खोज का भी कोई महत्व नहीं है क्योंकि अभियोजन पक्ष का मामला ही यह है कि मौत कठोर और कुंद पदार्थ से चोट पहुंचाने के कारण हुई थी। साक्ष्य अधिनियम की धारा 27 के अनुसार बरामदगी, साक्ष्य के रूप में स्वीकार्य होगी, बशर्ते कि बरामदगी उस तथ्य की हो जो अपराध के घटित होने के साथ मामले को जोड़ने के लिए प्रासंगिक हो। अभियुक्त की निशानदेही पर एक हथियार की बरामदगी जिसका मृतक की मृत्यु के कारण से कोई संबंध नहीं है, साक्ष्य में अस्वीकार्य है।

10. उक्त उद्देश्य के लिए कोई डीएनए परीक्षण नहीं किया गया था। जांच अधिकारी यह भी नहीं समझ पाए कि शव पुरुष का है या महिला का यह स्थापित करने के लिए किसी विशेषज्ञ की जांच नहीं की गई कि पहचान फोरेंसिक रूप से संभव थी।

11 एच.डबलू.वी. कॉक्स मेडिकल ज्यूरिस्पडेंस एंड टॉक्सिकोलॉजी में मृत्यु के समय के साथ-साथ शव की पहचान के संबंध में भी विस्तृत चर्चा की गई है। कॉक्स के अनुसार मृत्यु के बाद लंबे समय तक शरीर पर पत्थरों या पृथ्वी के दबाव से क्षति के कारण या कंकाल की पुनप्र्राप्ति के दौरान या बाद में क्षति के कारण भी खोपड़ी का फैक्चर देखा जा सकता है।

शव के कंकालीकरण के संबंध में कहा गया हैः-

मुलायम ऊतकों को पूरी तरह से हटाना एक बहुत ही परिवर्तनशील प्रक्रिया है जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, यह कुछ हफ्ते या कुछ दिनों के भीतर भी हो सकता है यदि पशु शिकारी असामान्य रूप से सक्रिय हैं। बहुत कुछ पर्यावरण पर निर्भर करता है विशेष रूप से तापमान और कीड़ों और अन्य जानवरों की गतिविधि पर।

समशीतोष्ण जलवायु में बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि वर्ष के किस समय व्यक्ति की मृत्यु हुई। उत्तरी यूरोप में, शरद ऋतु में खुले देश में मरने वाले व्यक्ति के अगली गर्मियों से पहले कंकाल बनने की

संभावना बहुत कम होगी अगर वह वर्ष के शुरुआती महीनों में मर जाता है जबकि अभी तक गर्म मौसम नहीं आना है।

एक बहुत ही कठोर सामान्यीकरण के रूप में, समशीतोष्ण जलवायु में एक शरीर जो बहुत बड़े पशु शिकार के अधीन नहीं है कुछ नरम ऊतकों को एक वर्ष तक बनाए रखेगा और नरम ऊतकों के अवशेष जैसे कण्डरा टैग, पेरीओस्टेम और संयुक्त कैप्सूल दो से पांच साल तक दिखाई दे सकते हैं। फिर से सामान्यीकरण इतने गलत हैं कि भ्रामक हो सकते हैं। उष्ण कटिबंध की गर्म जलवायु परिस्थितियों में, कंकालीकरण कुछ ही हफ्तों में हो सकता है, जिसका मुख्य कारण कीट जीवन और बड़े जानवरों द्वारा बड़े पैमाने पर ऊतक को हटाना है। लंदन में सबसे पहले पूर्ण कंकालीकरण बहुत तेज गर्मी के दौरान तीन सप्ताह में देखा गया है, लेकिन भारत में इससे भी अधिक तेजी से कंकालीकरण की कई रिपोर्ट हैं।

12. इस प्रकार किसी भी नियम के अनुसार, एक मृत शरीर 3-4 दिनों की अवधि के भीतर कंकाल नही बनेगा। सामान्य तौर पर इसमें कम से कम कुछ सप्ताह लगेंगे।

13. जैसा कि यहां बताया गया है, घटना दिसंबर के महीने में हुई थी। इसे गर्मी के दिन नहीं कहा जा सकता। यहां तक कि अत्यधिक गर्मी के दौरान भी किसी शव को कंकाल बनाने के लिए कम से कम एक सप्ताह का समय आवश्यक होता है। पोस्टमॉर्टम करने वाले डॉक्टर ने मौत का

संभावित समय नहीं बताया। संभवतः वह यह निर्धारित करने की स्थिति में नहीं था। हो सकता है कि जांच अधिकारी ने उसे ऐसा करने के लिए कहा ही न हो।

14. परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर हत्या के आरोप में आरोपी के अपराध के निर्धारण के लिए कानूनी मानदंड क्या होंगे, यह अब अच्छी तरह से तय हो गया है। देखे शरद बिरदीचंद सारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य देखेंरू (1984) 4 एससीसी 1116; बोधराज बनाम जम्मू और कश्मीर राज्य (2002) 8 एससीसी 45 और संजय ठकरान (सुप्रा)। हमारी राय में यह मामला इसमें निर्धारित मानदण्डों को पूरा नहीं करता है।

15. उपर्युक्त कारणों से, आक्षेपित निर्णय कायम नहीं रखा जा सकता। तद्नुसार इसे निरस्त किया जाता है। अपील स्वीकार की जाती है. यदि किसी अन्य मामले के संबंध में आवश्यक नहीं है तो अपीलकर्ता, जो हिरासत में है, कोतुरंत रिहा कर दिया जाए।

अपील स्वीकार की जाती है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राकेश गोरा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।